IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 2, July 2026
Impact Factor: 8.2

Hkkjrh; tutkfr;ksa dk dkuwu vkj ljdkj
¼Law and Government of Indian Tribes½

M,- fnyhi dekj flag
असिस्टेंट प्रोफेसर समाज शास्त्र
पंडित रामलखन शुक्ल राजकीय पी० जी० कॉलेज
आलापुर, अम्बेडकर नगर

सारांश : यह मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है। इसका आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन अधिक विकसित नहीं है। इस जनजाति पर भारतीय दण्ड विधान (प्दकपंद च्मदंस ब्वकम) लागू होता हैय परन्तु ये लोग अपने परम्परा–स्वीकृत नियमों को अधिक मानते हैं। इस कारण सभ्य समाज की अदालत का नहीं, बल्कि अपने ही समाज की पंचायतों का प्रयोग के अधिक करते हैं। ये कानून विभिन्न प्रकार के अपराधों से सम्बन्धित हैं और आवश्यक दण्ड की व्यवस्था करते हैं। कत्ल के अपराध को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता, और यदि की दिया भी गया तो कातिल सामाजिक भोज दे देता है तो उसे माफ कर दिया जाता है। इसी प्रकार दूसरी जनजातियों की फसल काट लाना या सरकारी नियन्त्रण में जो जंगल हैं उनसे कोई बीज चुग लाना या गैरकानूनी तौर पर शराब बनाना इनके यहाँ अपराध नहीं माना जाता। व्यक्तिगत झगड़ों का फैसला मुक्केबाजी द्वारा तय किया जाता है।

जनजातीय नियमों का उल्लंघन करने वालों को सामूहिक रूप से पंचायत द्वारा दण्डिस किया जाता है। परन्तु जिन अपराधों के विषय में लोगों को यह विश्वास होता है कि उनका उचित दण्ड अपराधी को अलौकिक शक्ति से प्राप्त होगा, उन अपराधों के लिए पंचायत भी दण्ड की कोई व्यवस्था नहीं करती। यह भी विश्वास किया जाता है कि अगर किसी कारणवश अपराधी को दण्ड उसके जीवनकाल में अलौकिक शक्ति द्वारा नहीं मिलाः तो मरने के बाद अपराधी जहाँ जाएगा वहाँ उसकी खबर ली जाएगी अर्थात् उसे दण्ड मिलेगा। अत्यन्त निकट के सम्बन्धियों के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित करना बहुत बड़ा अपराध है जिसका दण्ड अलौकिक शक्ति अवश्य ही देती है। फिर भी प्रचलित विधि के अनुसार ऐसे अपराधियों को या तो पूर्णतया अलग कर दिया जाता है या गाँव से ही निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य अनेक सामाजिक निषेधों को तोड़ने पर भी दंण्ड देने का काम अलौकिक शक्ति पर ही छोड़कर लोग चुप बैठे रहते हैं।

मुख्य शब्द: Hkkjrh; tutkfr;ksa dk dkuwu vkj ljdkj

I. iLrkouk

भारतीय जनजातियों के कानून और सरकार की भी सामान्य विशेषताएँ प्रायः वहीं हैं जो संसार की अन्य जनजातियों में देखने को मिलती हैं और जिनके विषय में हम इस अध्याय में विवेचना कर चुके हैं। फिर भी भारत की विभिन्न जनजातियाँ विभिन्न परिस्थितियों में निवास करती हैंय इस कारण उनकी शासन–व्यवस्थाओं में भी कुछ भिन्नताएँ हमें देखने को मिलती है। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम दो–एक जनजातियों का उदाहरण यहाँ दे रहे हैं–

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 2, July 2026
Impact Factor: 8.2

II dekj tutkfr

¼The Kamar Tribe½

यह मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है। इसका आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन अधिक विकसित नहीं है। इस जनजाति पर भारतीय दण्ड विधान (प्दकपंद च्मदंस ब्वकम) लागू होता हैय परन्तु ये लोग अपने परम्परा–स्वीकृत नियमों को अधिक मानते हैं। इस कारण सभ्य समाज की अदालत का नहीं, बल्कि अपने ही समाज की पंचायतों का प्रयोग के अधिक करते हैं। ये कानून विभिन्न प्रकार के अपराधों से सम्बन्धित हैं और आवश्यक दण्ड की व्यवस्था करते हैं। कत्ल के अपराध को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता, और यदि की दिया भी गया तो कातिल सामाजिक भोज दे देता है तो उसे माफ कर दिया जाता है। इसी प्रकार दूसरी जनजातियों की फसल काट लाना या सरकारी नियन्त्रण में जो जंगल हैं उनसे कोई बीज चुग लाना या गैरकानूनी तौर पर शराब बनाना इनके यहाँ अपराध नहीं माना जाता। व्यक्तिगत झगड़ों का फैसला मुक्केबाजी द्वारा तय किया जाता है।

जनजातीय नियमों का उल्लंघन करने वालों को सामूहिक रूप से पंचायत द्वारा दण्डिस किया जाता है। परन्तु जिन अपराधों के विषय में लोगों को यह विश्वास होता है कि उनका उचित दण्ड अपराधी को अलौकिक शक्ति से प्राप्त होगा, उन अपराधों के लिए पंचायत भी दण्ड की कोई व्यवस्था नहीं करती। यह भी विश्वास किया जाता है कि अगर किसी कारणवश अपराधी को दण्ड उसके जीवनकाल में अलौकिक शक्ति द्वारा नहीं मिलाः तो मरने के बाद अपराधी जहाँ जाएगा वहाँ उसकी खबर ली जाएगी अर्थात् उसे दण्ड मिलेगा। अत्यन्त निकट के सम्बन्धियों के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित करना बहुत बड़ा अपराध है जिसका दण्ड अलौकिक शक्ति अवश्य ही देती है। फिर भी प्रचलित विधि के अनुसार ऐसे अपराधियों को या तो पूर्णतया अलग कर दिया जाता है या गाँव से ही निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य अनेक सामाजिक निषेधों को तोड़ने पर भी दंण्ड देने का काम अलौकिक शक्ति पर ही छोड़कर लोग चुप बैठे रहते हैं।

प्रत्येक छोटे–मोटे अपराधों के लिए दण्ड की व्यवस्था करने हेतु पंचायत को बुलाया जात है। पंचायत के सम्मुख तो केवल अधिक गम्भीर प्रकार के अपराधों को पेश किया जाता है।

छोटे–मोटे मामलों में तो बड़े–बूढ़ों के मत को काफी प्रधानता दी जाती है।

समम जनजाति की शासन–व्यवस्था चलाने के लिए कोई केन्द्रीय सत्ता नहीं है। राजकीय संगठन या शासन–व्यवस्था स्थानीय समूह अर्थात् ग्राम में और ग्राम–समूह में निहित और विभाजित रहती है। आस–पास के माम–समूह अपनी पंचायत बना लेते हैं। इस पंचायत को उसके क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक–धार्मिक विषयों में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रत्यक्ष शासन का उत्तरदायित्व श्कुरहाश (समस्त गाँवों का प्रधान), श्सरपंचश (पंचायत का मुखिया) आदि कुछ शासकों और अधिकारियों पर होता है। जब पंचायत की बैठक होनी होती है. तो पंचायत का एक अपराधी बैठक की तारीख, स्थान तथा उद्देश्य आदि की सूचना सबको देता है। बच्चे, युवक लोग तथा सभी आयु की स्त्रियाँ पंचायत की सदस्य नहीं हो सकतीं। यह अधिकार समुदाय के केवल वृद्धजनों (मसकमते) को ही प्राप्त होता है। पंचायत का निर्णय या तो सर्वसम्मति से या बहुमत से होता है। सरपंच या कुरहा पंचायत के निर्णय को बहुत कम प्रभावित कर पाते हैं। केवल पंचायत को ही यह अधिकार प्राप्त है कि वह परिवार के बड़े–बूढ़ों के निर्णय को बदल सके।

डॉ. दुबे, जिन्होंने कमार जनजाति का अतिविस्तृत अध्ययन किया है, ने लिखा है, इस जनजाति में अदालती कार्यवाही (जतपंस) उचित ढंग से की जाती है जिसमें दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है, अपराध में प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही ली जाती है और

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 2, July 2026 Impact Factor: 8.2

अपराधी को अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका दिया जाता है। अपराध करने वाले के इरादे (पदजमदजपवद) की छान–बीन नहीं की जाती। अगर अपराध हुआ है,

चाहे अनजाने में या अचानक या बिना इरादे के ही क्यों न हो गया हो, उसका दण्ड अवश्य दिया जाता है। अनेक अपराध सामाजिक भोज देने से माफ कर दिए जाते हैं। इस भोज के हेतु रुपया इकट्ठा करने के लिए अपराधी को कुछ समय भी दिया जा सकता है। कमार जनजाति में जो कार्य अपराध या जनजातीय नियमों का उल्लंघन माने जाते हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं– व्यभिचार, जादू–टोना करना, गाय या बैल की हत्या करना, काला जादू, घोड़े को छूना या घोड़े पर चढ़ना, नीच जात के यहाँ खाना खा लेना, नीच जात वाले से मार खा जाना, चार पति बदलकर पाँचवाँ पति करना, बिना विवाह के किसी के साथ भाग जाना, बहिर्विवाह सम्बन्धी नियमों को तोड़ना आदि। डॉ. दुबे ने लिखा है चूंकि इस जनजाति में श्अपराधश को एक तरह से श्पापश माना जाता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इन्हें छिपाने का प्रयत्न नहीं करता है और हर कोई अपने–आप पंचायत को जुर्माना या भोज देकर इन पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। जनजाति के बड़े–बूढ़े ही जनजातीय कानून तथा व्यवस्था के संरक्षक होते हैं। वे ही कानून को परिभाषित करते तथा झगड़ों का निपटारा करते हैं।

III. jxek ukxk

¼The Rengma Nag½

रेगमा नागा जनजाति एक बहिर्विवाही समूह है और बहिर्विवाही के नियमों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले इस जनजाति में प्रत्यक्ष शासन का उत्तरदायित्व प्रधान (बीपमजिंपद) पर होता था। इस प्रधान की सहायता के लिए विभिन्न गोत्रों के प्रमुख व्यक्ति होते थे। फिर भी प्रधान की सत्ता सर्वोपरि होती थी। एक अर्थ में यह प्रधान मनमाने ढंग से शासन करता था। पर ऐसे भी उदाहरण हैं जब बहुत निर्दयी प्रधान को लोगों ने जबरदस्ती उसके पद से हटा दिया। सामान्य रूप से प्रधान के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आज्ञाकारी बना रहता और उसे भय और आदर की दृष्टि से देखता था। अगर कोई प्रधान के आदेशों की अवहेलना करता था तो उसका घर जलाकर या नष्ट करके उसे दण्डित किया जाता थाय परन्तु ब्रिटिश शासन–व्यवस्था की स्थापना के बाद ये सभी परिस्थितियाँ बहुत कुछ बदल गई हैं। अब स्थानीय प्रधानों की शक्ति बहुत कुछ छिन गई है और प्रत्येक प्रकार के झगड़े तथा जनजातीय नियमों के उल्लंघन के मामले अदालत के द्वारा तय होते हैं। पर ही आपसी जनमत रेंगमा नागा होती है। जनजाति कि शासन–व्यवस्था समुदाय के झगड़ों का निपटारा बड़े–बूढ़ों को वे कोई करने में प्रायः के अनुरूप ही देते हैं, इसीलिए सफल इनकी बहुत कुछ परम्परा–स्वीकृत विशेष अधिकार नहीं देते। ही होते हैं। ये अपना बातों को लोग मान लेते नियमों के आधार फिर भी ये बड़े–बूढ़े निर्णय गाँव के सामान्य हैं। सामान्य अपराधों में पारस्परिक समझौते से ही काम चल जाता हैय परन्तु गम्भीर प्रकार के अपराध करने वालों को उचित दण्ड दिया जाता है। उदाहरणार्थ, कत्ल करने या दूसरे की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले को गाँव से निकाल दिया जाता है और उसके घर में आग लगा दी जाती हैय पर अपराधी को कुछ समय के बाद फिर गाँव में लौट आने की छूट होती है। अपराधी इरादे पर भी ध्यान दिया जाता है। अगर अनजाने में हत्या हो गई है, तो अपराधी को माफ कर दिया जाता है। जंगल में आग लगा देना भी एक गम्भीर अपराध है क्योंकि इसमें वह जंगल बहुत वर्षों के लिए बेकार हो जाता है और सारे समुदाय को हानि पहुँचती है। इसीलिए ऐसे अपराध के लिए सारा गाँव अपराधी को कोसता और बददुआ देता है। चोरी करने या किसी अविवाहित लड़की से उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन सम्बन्ध स्थापित करने पर अपराधी को जुर्माना देना पड़ता है। व्यक्ति के दोषी अथवा निदर्दोष होने की परीक्षा शपथ ग्रहण

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 2, July 2026 Impact Factor: 8.2

करवाकर की जाती है। रेंगमा नागाओं की शासन–व्यवस्था में दास–प्रथा को मान्यता नहीं दी जाती तथा जनजाति के सभी स्त्री–पुरुषों को समान मर्यादा और पद प्रदान किया जाता है।

InHk

1. Beals and Hoijer] An Introduction to Anthropology- The Macmillan Co- New York p- 503-
2. "Law is a principal rule of conduct so established as to justify a prediction with reasonable certainty that it will be enforced by the courts if its authority is challenged-" B-N- Carcozo The Growth of the Law] p- 52-of H- Cairns]
3. Law and Anthropology] The Making of Man p- 317-fact by the application of physical force by a party possessing the socially recognized privilege of so acting-" E-A- Hoebel] Man in the Primitive World]
4. "A law is a social norm the infraction for which is sanctioned in threat or in New York] p- 471-
5. See R. H. Lowie, Social Organization, Routledge and Kegan Paul Ltd., London, Chapter VII.
6. See B. Malinowaski, Crime and Custom in Savage Society, New York,
7. Robert H. Lowie, Primitive Society, London pp. 344-45.
8. E. A. Hoebel, op. cit., p. 489.
9. Majumdar and Madan, Social Anthropology, pp. 212-15.